Research Papers

मानवाधिकार का इतिहास एवं विकास एक अध्ययन : भारतीय परिवेश के संदर्भ मे

डॉ. कैलास रामकृष्ण् नागुलकर
सहायोगी प्राध्यापक , गुलाम नबी आझाद कला, वाणिज्य् व विज्ञान महाविदयालय
बार्शिटाकली जि. अकोला महा.

सार:

मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्यों और उनके जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। मानव सभ्यता केप्रारंभ से ही समाज में मानव अधिकारों का समावेश है। विशेष रूप से वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा में मानव सभ्यता की भावना समाहित है।ऋग्वेद, भारतीयों का सबसे पुराना दस्तावेज घोषित किया गया है जिसमे स्पष्टं है कि सभी मनुष्य समान हैं और मानवाधिकारों की गरिमा का सम्मान करते हैं।अथर्ववेद ने इसी बात को दोहराया है। इसके अतिरिक्त, प्राचीन भारतीयो ने एक व्यक्ति के अधिकार को दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य के रूप मे स्विकार किया है। इसी कारण स्वतंत्र पूर्व युग में मानव अधिकार के महत्व को जाणने की आवश्यकता महसूस हुई है। महात्मा गांधी व्दारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ मानव समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहा हैं। स्वतंत्र भारत में, 1950 और 1960 की औपचारिक स्कूल शिक्षा व्यवस्था में मानवाधिकार शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। लेकिन समय बीतने के साथ साथ, मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक नीतियों के निर्माण का वर्चस्व रहा है, जो विश्वविदयालय शिक्षा आयोग, (राधाकृष्णंन आयोग 1949) जैसे प्रमुख आयोगों और नीति दस्तावेजों व्दारा समर्थित और अनुशंसित है। माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदलियार आयोग1952) शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग 1964-1966), राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां (1968,1986), राममूर्ति समिति (1992), कृती

कार्यक्रम (1992) आदि। इस स्थिती मे मानवाधिकारों का इतिहास, जिसका ऋग्वेद से अस्तित्व है, इसका इतिहास एवं विकास का अध्ययंन भारतीय संदर्भ मे प्रस्तुत शोध मे करणे का प्रयास किया है।

1.1 प्रस्तावना :

मानव अधिकार की अवधारणा ने इस धरती पर सभ्यता की शुरुआत की है। सुखीजीवन जीने के लिए तथा मनुष्य को अपने जीवन को सुचारू बनाने के लिए कुछ मोलीक अधिकारों की आवश्यकता होती है। मानव इतिहास को देखा जाय तो स्पष्टं होता है की,प्रारंभ से ही मनुष्य प्रकृति के खिलाफ अपने अस्तित्व के लिए और स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा है। वास्तंविकता इस दौर मे व्यक्ती बुनियादी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करतारहा है। इस संघर्ष ने मानव अधिकारों की अवधारणा का मार्ग प्रशस्त किया। मानवाधिकारों की सबसे मुख्यं विशेषता यह है कि, इसे परिभाषित करना कठिन है, लेकिन उसकी उपेक्षा करना असंभव है। मानवाधिकार उन सभी अधिकारों को दर्शाता है, जो हमारे स्वभाव में निहित हैं, और जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। ये अधिकार मानव समाज की गरिमा के लिए अपरिहार्य हैं। जिसका वे जन्म से लेकर मृत्यु तक आनंद ले सकते हैं।

मानवाधिकार संकल्पना :

मानवाधिकारों को आमतौर परअक्षम्य मौलिक अधिकारों के रूप में समझा जाता है, जिसके लिए व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सरल है, क्योंकि वह एक व्यक्ती है। मानव अधिकारों मे व्यक्ति की गरिमा आत्मसम्मान के स्तर से संबंधित है, जो व्यक्ती के व्यक्तिगत पहचान को सुरक्षित करती है, और मानव समुदाय को बढ़ावा देती है। स्कॉट डेविडसन के अनुसार, मानवाधिकारों की अवधारणा व्यक्तियों तथा उनके जीवन के कुछ क्षेत्र में, राज्य सरकार या उनके प्राधिकरण व्दारा व्यक्तियों की सुरक्षा के निकटता से संबंधित है। यह राज्यं व्दारा सामाजिक स्थिति के निर्माण की ओर भी निर्देशित करती है। जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का विकास करने के लिए प्रयास करता है।उपरोक्त उल्लिखित परिभाषाओं से, स्पष्टं होता है की, मानव अधिकार मानव को अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ती को प्रदान किया गया आवश्यंक और अनिवार्य अंग है।

1.2 शोध के उददेश् :

1. मानवाधिकार के इतिहास का भारतीय परिवेश के संदर्भत मे अध्यंयन करणा।
2. मानवाधिकार के विकास का भारतीय परिवेश के संदर्भत मे अध्ययंन करणा।

1.3 शोध प्रविधी :

प्रस्तुत शोध हेतू ऐतिहासिक तथा वर्णनात्मंक शोध प्रविधी का प्रयोग किया गया है। भारतीय परिवेष मे मानवाधिकार का क्या इतिहास है तथा इस मानवाधिकार के विकास की निती क्या है। इस संदर्भ मे उपलब्ध् ंव्दितीयक साधनोकी सहायतासे तथ्यों का विश्लेषण किया गया है।

1.4 विश्लेषण :

प्रस्तुत शोध मे मानवाधिकार का इतिहास एवं विकास का भारतीय परिवेश के संदर्भ मे विश्लेषण करणे हेतू व्दितीयक तथ्यो का प्रयोग किया गया है।

प्राचीन काल में मानव अधिकार :

मानव अधिकार की अवधारणा का संबंध केवल पश्चिमी क्षेत्र से नहीं है। यह उन मूल्यों का परिपाक है, जो सभी मानव जाति के कल्याण के लिए सामान्य हैं। यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (1948) सहजतासे नही आया था, लेकिन मानवाधिकार के क्षेत्र मे एक मैल का पत्थर था, जिस पर मानवा अधिकार की अवधारणा सदियों से मार्गस्थं रही है। वास्तव में, मानव अधिकार यूरोपीय देशों की उपज है, लेकिन मानव अधिकारों की अवधारणा भारतीय संस्कृति जितनी पुराणी है उसके बराबर ही पुरानी पायी जाती है। वैदिक युग से मानव ने सभी के लिए मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है।

प्राचीन भारत में, मानवाधिकारों की अवधारणा पंद्रहवीं शताब्दी ईसा पूर्व के वेद काल से पायी जाती है। इस संदर्भ मे कई प्रकार की कहानियां तथा उच्चारण पाएँ जाते हैं। जिन्होंने मानव अधिकारों की अवधारणा को स्पष्टं किया है। वेदों में, मानव अधिकार को समानता की अवधारणा के साथ दर्शाया गया है। सभी के हित के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। कौटिल्य ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्टं करते हुए स्पष्टं किया की, मानव अधिकार मे ही राज्य का सुख निहित है। अपने विषय की खुशी और अवधि के समय नागरिक और कानूनी अधिकारों को पहले मनु व्दारा तैयार किया गया था तथा साथ ही कई आर्थिक अधिकारों को भी जोड़ा गया था। तथ्य और कहानियों के व्दारा

यह वास्तव में पता चलता है, कि वैदिक काल मे समाज अच्छी तरह से प्रेरित और संगठित था,तथा मानव अधिकार के प्रति प्रतिबद्ध था। वास्तव में, मानवाधिकारों के महत्व को जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक समूह व्दारा समर्थित किया गया है। प्राचीन काल में मानव अधिकार और उनकी जड़ेसम्राट अशोक के काल का संदर्भ दिए बिना नहीं बची है। सम्राट अशोक ने कहा की, सभी पुरुष मेरे बच्चे हैं, और मेरे बच्चों की बस यही इच्छा है कि, वे इस दुनिया में और आगे भी हर तरह की समृद्धि और सुख का आनंद ले सकें, यही मैं सभी पुरुषों के लिए चाहता हू। वास्तव में, राजा अशोक ने मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिन-रात काम किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ मानव अधिकारों मे गिरावट देखी गई।

मध्यकालीन समय में मानव अधिकार

मध्ययुगीन काल भारत में मुस्लिम युग का प्रतीक माना जाता है। पूर्व-मुगल काल में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों की श्रृंखला मौजूद थी, लेकिन मुगल के आगमन के साथ साथ्, हिंदुओं को काफी हानी हुई औरमानव अधिकारों की अवधारणा अंधेरे में खो गई। लेकिन अकबर के (1526-1605) काल मे एक बार फिर सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों को बहुत सम्मान दिया गया। अपनी धार्मिक नीति, दीन-ई-इलाही (ईश्वरीय-धर्म) में, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता के विचार का प्रचार करने का प्रयास किया। इसी तरह, भक्ति (हिंदू) और सूफी (इस्लामिक) जैसे विभिन्न धार्मिक आंदोलनों ने मानव अधिकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। जो कई बार अन्य मुगल साम्राज्यों जैसे औरंगजेब, बाबर, हुमायूं आदि व्दारा उसे दबा दिया गया था।

आधुनिक भारत मे मानव अधिकार :

आधुनिक भारत का यह काल ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन से शुरू हुआ है। ब्रिटिश प्रशासन व्दारा भारतीय प्रशासन की प्रक्रिया 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के साथ शुरू हुई। इसके तहत, भारतीय जीवन के सभी क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में ब्रिटिशों व्दारा पूरी तरह से प्रभावित थे। उन्हें बताया गया कि वे किसी भी अधिकार के हकदार नहीं हैं। जीवन और आजीविका के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार, समानता के अधिकार, उपदेश के अधिकार आदि बुनियादी अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया गया था। इसवातावरण में, भारतीय नेताओं और लोगों को लगता

था कि, उनके औपनिवेशिक शासन के हात मे उनके अधिकार खो गए है, इसलिए उन्होंने अपने अधिकारों के प्रती लड़ने की जगह पीछे हटने के बारे में उन्होने सोचा। भारत के संविधान में मूलभूत अधिकारों के लिए पहली स्पष्ट मांग 1895 में दिखाई दी थी। इसमे प्रत्येक भारतीय को अभिव्यक्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आदि की शाश्वंती दी गयी थी। नागरिक अधिकार और समानता की मांग के लिए 1917 और 1919 के बीच प्रस्ताव पारित किया गया था। एक अन्य 1925 का बेसेंटविधेयक में सात मौलिक अधिकारों की सूची थी जिसमेव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतर आत्मा की स्वतंत्रता और धार्मीक स्वतंत्र और उसका आचरण, सूचना की मुक्त अभिव्यक्ति, नि:शुल्क प्रारंभिक शिक्षा, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और न्याय का उपयोग, कानून के समक्ष समानता, लिंगों की समानता आदी।

1927 में एक प्रस्ताव पारित किया जो मई 1928 में लागू हुआ, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है,इसमे घोषणा की थी कि भारतीयों की पहली चिंताउन मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित करना था, जिन्हें उनके लिए अस्वीकार कर दिया गया था। मौलिक अधिकार के संदर्भ में एक और उपलब्धि मार्च 1931 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन व्दारा अपनाई गई जो कराची संकल्प के रूप मे जाणी जाती है। 1940 के दशक को संयुक्त राष्ट्र की विधानसभा व्दाराउनसे संबंधित गतिविधियों में मौलिक अधिकारों के उदय के व्दारा चिह्नित किया गया था। भारतीय संदर्भ में मौलिक अधिकारों के विकास का अगला चरण 1945 के अंत में प्रकाशितसपरा समिति की रिपोर्ट था। स्वतंत्रता के बाद, समय-समय पर विभिन्न कानून बनाए गए, विभिन्न समितियों से मौलिक अधिकारों की अवधारणा को बढ़ाने के लिए सुझाव आए जिसके व्दारा संपूर्ण मानव जाति को सम्मिलित किया गया था।

भारतीय संविधान में मानव अधिकार

भारतीय संविधान में मानव अधिकारों को भारत के संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, भाग तिन मौलिक अधिकारों से संबंधित, भाग चार निर्देशक सिध्दांत जो एक साथ संविधान का मूल रूप से संबंधित हैं।

संविधान का प्रास्ताविक

इसमे संविधान के संदर्भ मे परिचयात्मक कथन है। जो दस्तावेज़ के मार्गदर्शक उद्देश्य और सिद्धांत देता है। प्रस्तावना में कहा गया है की, हम, भारत के लोग, जिन्होंने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और सभी के लिए सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया है। इसके नागरिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और श्रध्दा, स्थिति और अवसर की समानता और उनमें से सभी को बढ़ावा देने के लिए व्यक्ति की एकता और अखंडताऔर राष्ट्र की अखंडता को आश्वस्त करने वाली बिरादरी। इसका उल्लेख किया गया है।

मौलिक अधिकार

मौलीक अधिकार जो मनुष्यों की स्वतंत्रता के लिए बुनियादी हैं, ताकि वे अपने व्यक्तित्व के समुचित और सामंजस्यपूर्ण विकास के साथ जी सकें और आनंद ले सकें।ये अधिकार जाति, नस्ल, पंथ, धर्म, रंग या लिंग के बावजूद सार्वभौमिक रूप से लागू किए जाते हैं। वे कुछ लेखों के अधीन न्यायालयों व्दारा लागू किए जाते हैं।

समानता का अधिकार

कानून से पहले की समानता अनुच्छेद 14, सामाजिक समानता और सार्वजनिक क्षेत्रों में समान पहुंच अनुच्छेद 15, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17, उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 का प्रावधान है।

स्वतंत्रता का अधिकार

इन अधिकारों को मानवाधिका के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक के पद शामिल हैं जिसमे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की स्वतंत्रता,संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता,भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता हालांकि आम जनता के हित में इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है,भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता,किसी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय, व्यापार करने की स्वतंत्रता का अंतर्भाव अनुच्छेद 19 मे है।किसी को ऐसी सजा नहीं दी जा सकती जो कानून व्दारा निर्धारण से अधिक है, किसी को एक ही अपराध के लिए दो बार दोषी नहीं ठहराया जा सकता,जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसका अंतर्भात अनुच्छेद 20 मे है।किसी भी नागरिक को उसके जीवन और कानून व्दाराप्राप्तं स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया

जा सकता है,हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है इसका अंतर्भाव अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 ए. मे है।किसी को उसकी गिरफ्तारी के लिए आधार बताये बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है,गिरफ्तार नागरिक को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाना चाहिए, इसका अंतर्भाव अनुच्छेद 22 मे है।

शोषण के खिलाफ अधिकार

इस अधिकार के तहत, अनुच्छेद 23 और 24 को प्रावधान दिए गए हैं जिसमे मानव और तस्करीजबरन मजदूरी में तस्करी का उन्मूलन अनुच्छेद 23, कारखानों, खानों आदि खतरनाक नौकरियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को समाप्त करना अनुच्छेद 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकारइसके अंतर्गत अनुच्छेद 25, 26, 27 और28 शामिल हैं जिन्हें निम्नानुसार वर्णित किया गया है।

भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, धार्मिक समुदाय अपने स्वयं के धर्मार्थ संस्थान की स्थापना कर सकते हैं अनुच्छेद 26, किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने के लिए जबरजस्ती नहीं किया जाएगी अनुच्छेद 27, राज्य चलाने वाली संस्थाएं शिक्षा प्रदान नहीं कर सकती हैं जो कि धार्मिक है अनुच्छेद 28 मे इसका अंतर्भाव है।

संस्कृति और शैक्षिक अधिकार :

राज्य या सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 29, सभी अल्पसंख्यक, धर्म या भाषाई अपनी शिक्षा स्थापित कर सकते हैं, अपनी संस्कृति का संरक्षण और विकास करने वाली संस्थाओंका समावेश इसमे है अनुच्छेद 30 मे इसका अंतर्भाव है।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

नीति निर्देशक सिंध्दांत संविधान के भाग चार में सन्निहित हैं। इसमें प्रस्तावना व्दारा प्रस्तावित सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। राज्य से अपेक्षा की जाती है कि, वे कानूनों और नीतियों को बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान में रखें। इसके तहत, शामिल सिध्दांत मे, यह घोषणा की है, की निर्देशक सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं और कानून के मामलों में उन्हें लागू करने के लिए राज्य पर एक दायित्व लागू करते हैं अनुच्छेद 37, यह लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, समानता

के लिए लड़ने और व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सकारात्मक कर्तव्य पर जोर देता हैअनुच्छेद 38, सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, सभी को समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 ए, राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए काम करना चाहिए और उन्हें स्व-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में मदद करनी चाहिए अनुच्छेद 40, राज्य को आर्थिक क्षमता की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करना चाहिए अनुच्छेद 41, राज्य को काम और मातृत्व राहत को उचित और मानवीय स्थितियों के लिए प्रदान करना चाहिए अनुच्छेद 42, राज्य को मज़दूरों के जीवन यापन और उचित परिस्थितियों को सुनिश्चित करना चाहिए, जिसमें वे आराम और सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद ले सके, राज्य को औदयोगिक उपक्रमों के प्रबंधन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिएअनुच्छेद 43 अनुच्छेद 43 ए., राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा अनुच्छेद 44, राज्य को 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए अनुच्छेद 45, राज्य को जाति, अनुसूचित और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए काम करना चाहिए अनुच्छेद 46, राज्य पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रतिबद्ध होगा अनुच्छेद 47, राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकेसे कृषि और पशुपालन का आयोजन करना चाहिए, राज्य को पर्यावरण की रक्षा और उसमे सुधार करना चाहिए तथा देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा करनी चाहिएअनुच्छेद 48 अनुच्छेद 48 ए., विनाश और क्षति के खिलाफ ऐतिहासिक और कलात्मक हित और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं की रक्षा करणा राज्य का दायित्व है अनुच्छेद 49, राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना चाहिए अनुच्छेद 50, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन और रखरखाव के लिए प्रयास करेगा अनुच्छेद 51 मे इसका अंतर्भाव है।

मूलभूत कर्तव्ये.

86 वा संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के अनुसार, भारत के नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिसमे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उसका पालन करना,

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को रोकना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, माता-पिता, अभिभावक व्दारा अपने बच्चे को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना आदी का समावेश किया गया है।

नीति निर्धारण और मानव अधिकार शिक्षा

विभिन्न भारतीय शिक्षा आयोगों और शिक्षा नीति तथा राज्यों व्दारा मानवाधिकारों के महत्व और शैक्षिक प्रणाली में इसके विकास पर जोर दिया है। शिक्षा आयोग और नीतिगत दस्तावेज जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1949), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952), शिक्षा आयोग (1964-66), शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियां (एनपीई-1968 तथा 1986), राममूर्ति समिति (1992), चव्हाण समिति (1992) शिक्षा में मानवाधिकारों की अवधारणा को मूल्य-उन्मुख शिक्षा प्रणाली के रूप में विकसित करने के लिए स्थापित की गई थी।

भारत में मानव अधिकारों के संबंध में घटनाओं / भारतीय कानूनों का कालक्रम :

भारत मे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विधियों की सूची निर्धारित कि है, जिनका भारतमें मानवाधिकारों का प्रचार तथा मानवाधिकार संरक्षण पर प्रभाव पड़ता है जिसमे मुख्यतः 1829-सती प्रथा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया।1923-कामगार मुआवजा अधिनियम बनाया गया, 1926-ट्रेड यूनियन्स एक्ट बनाया गया, 1929-बाल विवाह निरोधक कानून बनाया गया, 1933-बच्चे (श्रम की प्रतिज्ञा) अधिनियम बनाया गया, 1936-मजदूरी अधिनियम का भुगतान बनाया गया, 1946-औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश पारीत किया, 1947-औद्योगिक विवाद अधिनियम बनाया गया, 1948-न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1950-जाति विकलांगता निवारण अधिनियम, 1955-नागरिक अधिकार अधिनियम का संरक्षण, 1956-अनैतिक यातायात अधिनियम, 1961-मातृत्व लाभ अधिनियम, 1976-समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1986-पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986-किशोर न्याय अधिनियम, 1987- सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1990-राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1993-

मानवाधिकार आयोग की स्थापना, 2005-सूचना का अधिकार अधिनियम पारित, 2010-बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ आदि।

1.5 निष्कर्ष

उपर्युक्त विवरणों से, स्पष्टं होता है की, मानवाधिकारों की अवधारणा के इतिहास का संबंध मानव संस्कृति के आगमन से है। जो वैदिक काल में संबंधित है, मध्ययुगीन और आधुनिक समय मेमानवाधिकार का महत्वं तथा इस संदर्भ मे आवश्यंक निती नियम अपने उचित महत्व तक पहुँचेहै। भारत मे इस मानवाधिकार को मौलिक अधिकारों, निती निर्देश सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों को मानवी समाज तथा व्यक्ती के संदर्भ में उचित महत्व दिया गया है।

संदर्भ ग्रंथ :

- Arun Raj, (2005). National Rights Commission of India, formation, functioning and fututr prospects. New Delhi : Vol-1. Khana.
- Durga Das Basu, (1994). Human Rights in Constitutional law. New Delhi : Prentic Hall of india.
- Johari,J.C. (1996). Human Rights and New World Order Towards Perfection of the Democratic way of life. New Delhi : Anmol Publication.
- Malkit Singh, (2007). Thinking of Human Rights in Colonial India. Research Journal Social Science. Vol-15 No.2.
- Nirmal, C.J. (2006). Human Rights in India, Historical, Social and Political Perspective. New Delhi : Oxford University press.
- Sundara RajM.,(2006). Awakening of Human Rights, New Delhi : Oxford University press.
- Vijaya Kumar V.,(2000). The working of the National Human Rights Commission ,A Perspective.New Delhi : Oxford University press.